

Date \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

# सामाजिक विज्ञान

Class - 10th

प्रश्न (1)

- (1) वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972
- (2) आवास के लिए
- (3) 5 फरवरी 1922
- (4) वस्तु विनियम प्रणाली

प्रश्न (2)

- (1) महय प्रदेश
- (2) 1917 में बिहार के चंपारण
- (3) लाला लालपत राम
- (4) भारतीय रिजर्व बैंक

आरक्षित वन उन वनों को कहते हैं जिन्हें सरकार द्वारा विशेष रूप से संरक्षित किया जाता है। इन वनों में वनस्पति और जीव-जन्तुओं की विविधता को बनाए रखने के लिए विशेष प्रयास किए जाते हैं।

आरक्षित वनों की विशेषताएं:

1. संरक्षण: इन वनों का संरक्षण सरकार द्वारा किया जाता है ताकि वनस्पति और जीव-जन्तुओं की विविधता बनी रहे।
2. प्रबंधन: इन वनों का प्रबंधन सरकार द्वारा किया जाता है ताकि वनों का उपयोग सही तरीके से किया जा सके।
3. सुरक्षा: इन वनों की सुरक्षा सरकार द्वारा की जाती है ताकि वनों को नुकसान न पहुंचे।

आरक्षित वनों के लाभ:

1. जैव विविधता की रक्षा: आरक्षित वन जैव विविधता की रक्षा करते हैं।
2. जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने में मदद: आरक्षित वन जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने में मदद करते हैं।



4 .. गांधी जी ने अहसयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया? समझाइए

गांधी जी ने अहिंसक असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय 1922 में चौरी चौरा की घटना के बाद लिया था। यह घटना उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में हुई थी, जहां प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे।

गांधी जी ने इस घटना को अहिंसक आंदोलन के सिद्धांतों के विरुद्ध माना और आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया। उन्होंने महसूस किया कि आंदोलन हिंसक हो रहा है और इससे देश में अराजकता फैल सकती है।

गांधी जी के इस निर्णय के पीछे निम्नलिखित कारण थे:

1. अहिंसा के सिद्धांतों की रक्षा: गांधी जी ने अहिंसा को अपने आंदोलन का मूल सिद्धांत बनाया था। चौरी चौरा की घटना ने इस सिद्धांत का उल्लंघन किया था।
2. हिंसा को रोकना: गांधी जी ने महसूस किया कि आंदोलन हिंसक हो रहा है और इससे देश में अराजकता फैल सकती है।

5.. कर्जदाता कर्ज दत समय ऋणाधार का माँग क्यों करते हैं? समझाइए ।

कर्जदाता कर्ज देते समय ऋणाधार की माँग करते हैं ताकि वे अपने ऋण की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें। ऋणाधार के माध्यम से, कर्जदाता को यह विश्वास होता है कि अगर ऋण लेने वाला व्यक्ति कर्ज चुकाने में असमर्थ होता है, तो कर्जदाता ऋणाधार की बिक्री करके अपना ऋण वसूल कर सकता है।

ऋणाधार की माँग करने के कुछ मुख्य कारण हैं:

1. सुरक्षा: ऋणाधार कर्जदाता को सुरक्षा प्रदान करता है कि अगर ऋण लेने वाला व्यक्ति कर्ज चुकाने में असमर्थ होता है, तो कर्जदाता ऋणाधार की बिक्री करके अपना ऋण वसूल कर सकता है।
2. जोखिम कम करना: ऋणाधार जोखिम को कम करता है क्योंकि कर्जदाता को यह विश्वास होता है कि वह अपना ऋण वसूल कर सकता है।
3. ऋण चुकाने की गारंटी: ऋणाधार ऋण चुकाने की गारंटी प्रदान करता है क्योंकि ऋण लेने वाला व्यक्ति अपनी संपत्ति को जोखिम में डालता है।

# साइमन कमीशन का उद्देश्य

**भारत सरकार अधिनियम 1919** ने ब्रिटिश भारत के प्रांतों पर शासन करने के लिए द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की। भारतीय जनमत ने इस शासन प्रणाली का विरोध किया और संशोधनों के खिलाफ आवाज उठाई।

भारतीयों को बाहर रखे जाने को अपमान और आत्मनिर्णय के सिद्धांत का उल्लंघन माना गया।

## भारत में साइमन कमीशन का विरोध

साइमन कमीशन की घोषणा से भारतीयों में गुस्सा भड़क उठा। उन्होंने कमीशन का बहिष्कार करने का फैसला किया और "साइमन वापस जाओ" के बैनर लेकर प्रदर्शन किया।

- कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग (एम.ए. जिन्ना के नेतृत्व में) ने आयोग का बहिष्कार करने का निर्णय लिया।
- देशव्यापी बंद मनाया गया।
- **पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया और वरिष्ठ नेता लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी मृत्यु हो गई।**
- पूरे देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन, हड़तालें और काले झंडे के जुलूस निकाले गए।

- भारत सरकार अधिनियम 1919 में यह प्रावधान किया गया था कि दस वर्ष बाद सरकारी योजना की प्रगति की जांच करने तथा सुधार के लिए नये कदम सुझाने के लिए एक आयोग नियुक्त किया जाएगा।